Right to Food Campaign

(Secretariat)

24, Block A, Adhchini, Sarvodaya Enclave, New Delhi – 110017, India

==========

21 अप्रैल 2020

केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनाज से सैनीटाइज़र बनाने के निर्णय के विरुद्ध वक्तव्य

यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ने FCI के चावल भण्डार से सैनीटाइज़र बनाने का निर्णय लिया है, जबकि उसने जन वितरण प्रणाली को सार्वजनिक करने की मांगों पर अभी तक कोई प्रतिक्रया नहीं की है. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 25 मार्च से लगाए गए राष्ट्रव्यापी बंद के कारण लाखों लोग बेरोजगार हैं और प्रवासी मज़दूर बिना राशन एवं आश्रय के जहाँ तहां फंसे हैं. सरकार ने तालाबंदी के तीन दिन के बाद जन वितरण प्रणाली के तहत अतिरिक्त राशन देने का निर्णय लिया, वह भी केवल राशन कार्डधारियों के लिए. और देश के कई हिस्सों में तो लोगों को अभी तक यह अतिरिक्त राशन मिला भी नहीं है. फलस्वरूप, देश भर से व्यापक भुखमरी व कुछ भूख से मौत की खबरें आ रही हैं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार देश की 67 प्रतिशत आबादी को जन वितरण प्रणाली के तहत सस्ता अनाज मिलना चाहिए जबकि अभी, केवल 80 करोड़ लोगों के पास ही राशन कार्ड है. जबकि एक एस्टीमेट के अनुसार अभी अतिरिक्त10 करोड़ लोगों को जन वितरण प्रणाली के दायरे में लाया जाना चाहिए. राशन कार्ड से वंचित परिवारों की सूची में प्रवासी मज़दूर, शहरी बेघर, दलित, आदीवासी, एकल महिलाएं, व वृद्ध शामिल हैं. जिन परिवार के पास राशन कार्ड है उनमे भी परिवार के कई सदस्य शामिल नहीं है.

वर्त्तमान में FCI के गोदामों में 75 मिलियन टन अनाज है और रबी फसल की खरीद के बाद इसमे और 35-40 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी आएगी. केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान ने स्वयं कुछ दिन पहले यह कहा था कि अनाज की कोई कमी नहीं है. उनके अनुसार खाद्य असुरक्षा की समस्या राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त राशन कार्ड निर्गत न करने के कारण उत्पन्न हुई है. संकट की स्थिति देखते हुए अभी राशन कार्ड निर्गत करने का समय नहीं है. सरकार को अह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम अगले एक वर्ष तक हर इच्छुक व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो अनाज, 1.5 किलो दाल व 800 ग्राम खाद्य तेल मिले और इसके लिए राज्यों को FCI से निःशुल्क अनाज मिले. खाद्य असुरक्षा की व्यापक स्थिति से न केवल भुखमरी व भूख से मौतें बढेंगी. भुखमरी की स्थिति से टीबी व कुपोषण सम्बंधित रोग भी बढ़ेंगे, इसका ज्यादा असर महिलाओं व बच्चों में देखने को मिल सकता है.

हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह भारत सरकार का दायित्व है कि देश में हर व्यक्ति के जीने के अधिकार की रक्षा हो. यह दुर्भाग्यपूर्ण है की सरकार अनाज के विकेंद्रीकृत खरीद की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बजाय अनाज से सैनीटाइज़र बनाने का निर्णय ले रही है. हालांकि वर्त्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि हाथ धोने के लिए पर्याप्त प्रबंध किये जाने चाहिए – इसके लिए सरकार पानी की उपलब्धता एवं जन वितरण प्रणाली से साबुन बांटना सुनिश्चित करे.

आयशा (8527359760) , गंगाराम पैंकरा (9977462084), कविता श्रीवास्तव (9351562965), दीपा सिन्हा (9650434777)

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान की तरफ से